बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

बुधवार, तिथि 21 जुलाई, 1976।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या—4	1-14
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—1363, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1840, 1842, 1843, 1844, 1845, 1850, 1851, 1854, 1855, 1857, 1861, 1863, 1866, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1876, 1877, 1881, 1887, 1890, 1891, 1893, 1904, 1909, 1912, 1920, 1943।	15-59
दैनिक निबंध	61-62

टिप्पणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिन्ह लगा दिया गया है।

श्री कृष्णनन्दन सहाय की प्रोन्नति ।

1842. श्री भुवनेश्वर शर्मा—तारांकित प्रश्न संख्या दिनांक 8 अगस्त, 1973 के उत्तर को ध्यान में रखते हुये मन्त्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पंचायती राज निदेशालय में श्री कृष्णनन्दन सहाय को 20 मार्च, 1968 से प्रशाखा प्रधान के पद पर प्रायोगिक रूप से प्रोन्नति दी गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि तत्कालीन निदेशक द्वारा दी गयी प्रतिकूल अभ्युक्तियों के बावजूद उन्हें कार्यालयादेश संख्या 143, दिनांक 12 जुलाई, 1974 द्वारा 20 मार्च, 1968 से सम्पुष्ट कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त अनियमित कार्यालयादेश को कब तक रद्द करना चाहती है और इसके लिये जिम्मेवार पदाधिकारी पर कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है ?

डॉ० रामराज प्रसाद सिंह—(1) पंचायती राज निदेशालय में श्री कृष्णनन्दन सहाय को दिनांक 30 मार्च, 1968 से प्रशाखा प्रधान के पद पर अस्थायी रूप से प्रोन्नत किया गया था ।

(2) यह बात सही नहीं है कि प्रतिकूल अभ्युक्तियों के बावजूद श्री सहाय को 20 मार्च, 1968 से सम्पुष्ट किया गया । वस्तुतः कार्यालयादेश संख्या 143, दिनांक 12 जुलाई, 1974 के द्वारा तत्कालीन निदेशक ने श्री सहाय को प्रशाखा प्रधान के पद पर दिनांक 20 मार्च, 1968 से इसलिये सम्पुष्ट किया, चूंकि प्रोन्नति की तिथि 20 मार्च, 1968 के बाद उन्हें कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं दी गयी ।

(3) उपर्युक्त खण्डों के उत्तर को देखते हुये प्रश्न नहीं उठता है ।

आवास का प्रबन्ध ।

1843. श्री कुमार कालिका सिंह—क्या मन्त्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राजकीय कन्या विद्यालय, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पटना के लिये विद्यालय भवन का प्रबन्ध किया गया है, परन्तु शिक्षिका निवास का कोई प्रबन्ध अभी तक नहीं किया गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार महिला शिक्षिकाओं की कठिनाइयों तथा आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षिका के लिए मकान का प्रबन्ध करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ० रामराज प्रसाद सिंह—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) महिला शिक्षिकाओं के आवास के निर्माण की व्यवस्था अर्थाभाव के कारण तत्काल सम्भव नहीं है। यों भी पटने में स्थानीय शिक्षिकायें इतनी संख्या में मिल जाती हैं कि यहां शिक्षिका आवास की वैसी घोर आवश्यकता नहीं है।

परीक्षाफल प्रकाशन में विलम्ब।

*1844. श्री जगदीश ओझा—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सन् 1976 के वार्षिक माध्यमिक परीक्षाफल सरकार द्वारा मई, 1976 के अंतिम सप्ताह में निर्धारित न्यू रेगुलेशन के अनुसार प्रकाशित करना था, किन्तु विद्यालय परीक्षा समिति के अधिकारियों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग—उत्तर नकारात्मक है। शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 1070, दिनांक 2 जून, 1976 द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के रेगुलेशन में संशोधन किया गया, जो परीक्षा समिति में 4 जून, 1976 को प्राप्त हुआ। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 1976 का परीक्षाफल दिनांक 28 मई, 1976 से 4 जून, 1976 तक प्रकाशित कर दिया गया था। अतः संशोधित रेगुलेशन के आधार पर इस वर्ष परीक्षाफल प्रकाशित किया जाना संभव नहीं था।

सरकारी राशि का अपव्यय।

*1845. श्री एच० ए० ब्राउन—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि एन० सी० सी० निदेशक ब्रिगेडियर महीन्दर सिंह एवं मेजर पवन बहादुर सिंह ने माह मई, 1976 में रांची के एन० सी० सी० यूनिट के निरीक्षण हेतु पांच बार यात्रा की है;